

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- (नौला)

दिनांक:- 26/6/25

प्रकरण संख्या:- 65/2025

सुनवान

श्री रामावलारियुजडा
 सुपर नि. 200/25

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्राथी के खाता बुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न बस्तावेज, पटवारी हत्का (नौला) भू. अ. नि. 810/3/25 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम 200/25 प 0 ह 0 (नौला) की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 37 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	संबंध में अशुद्धि	पांची देवी पुत्री उदा	पांची देवी पाले स्व. उदा

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिहिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्राथी श्री रामावलारियुजडा सुपर नि. 200/25।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)